



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-XI

APRIL-2021 TO JUNE-2021

ISSUE-II



e-NEWSLETTER

Quarterly Newsletter of Uttarakhand SLSA
Compiled by
Mr. R. K. Khulbey, Member Secretary, UKSLSA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid : <https://uklegallaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link : <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link : <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link : <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5clQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL



Hon'ble Mr. Justice Raghvendra Singh Chauhan,
Hon'ble Patron-in-Chief,
UKLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Tiwari,
Hon'ble Executive Chairman,
UKLSA, Nainital



Hon'ble Mr. Justice Narayan Singh Dhanik
Hon'ble Chairman,
HCLSC, Nainital



Mr. R.K. Khulbey,
Member Secretary, UKLSA, Nainital



Mr. Sayed Gufran,
Officer on Special Duty, UKLSA, Nainital

E-NEWS LETTER FOR APRIL-2021 TO JUNE-2021

MULTI-PURPOSE LEGAL LITERACY-CUM-MEDICAL CAMP AT JAULJIBI FAIR GROUND,PITHORAGARH:

On 04th April, 2021, a Multi-purpose/New Module Legal Service Camp was organized in the Jauljibi Fair Ground at District Pithoragarh. The said camp was organized as per the direction of the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital. The said multipurpose camp was inaugurated by the Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA Nainital. The Member Secretary, UKSLSA, District Judge/Chairman and Secretary, DLSA Pithoragarh and other judicial officers were also present in the said multipurpose camp. Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA Nainital informed the participants that every citizen should be aware about their rights and obligations. Legal Services Institutions have been constituted/established to ensure Access to Legal Services for the common mass by providing them free legal aid. Goal of legal aid would be achieved when all the needy and poor people are aware and are getting benefits from it as it is their fundamental right.

In the above Multi-purpose camp total **1109 people** were benefited and Wheelchairs, Spectacles, Hearing Aid, Blanket Shawls and medicines etc. provided to them. Free medical check up of the people including heart patients were also conducted.

Besides the above, Certificates relating to Income ,Caste, Domicile, Disability, Death, Birth, B.P.L. Category were provided to **425 people**. Widow, Old Age pension Applications, workers registration form, renewal of workers registration, Aadhar Card form etc. received by the departments in order to process so that maximum no. of persons may be benefitted.





पिपौरागढ़/चम्पावत जागरण 2 **दैनिक जागरण, राकेश, 5 अक्टूबर 2021**

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक

जिसका अर्थ है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

विषय: दुर्घटनाग्रस्त विधवा के सार्वजनिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक

दुर्घटनाग्रस्त विधवा के सार्वजनिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

अमर उजाला **पिपौरागढ़-चम्पावत** 7

अधिकारों के लिए जागरूक होना जरूरी ; न्यायमूर्ति तिवारी

सोशल वीरों में जागरूकता के लिए जागरूक होना जरूरी है। न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

MEETING OF HON'BLE HIGH POWER COMMITTEE DATED 17.05.2021:

In compliance of the Order dated 07.05.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petitions (C) No. 1/2020-IN RECONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS and order dated 06.05.2021 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) No. 58 of 2021 (Omveer Singh Vs. State of Uttarakhand and others) and as per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, a Hon'ble High Power Committee meeting was convened on 17.05.2021. The said meeting was chaired by the Hon'ble Mr. Justice Manoj Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA and other members of the committee, Secretary, Home Govt. of Uttarakhand and IG Prison, Uttarakhand Dehradun have attended the meeting. Hon'ble High power committee has recommended that 106 convicted prisoners and 685 under trial prisoners shall be released on parole/interim bail for 90 days. Hon'ble High power committee has directed that the convicts/undertrials which are to be released on parole/interim bail, shall undergo RT-PCR and other tests for Covid-19 before their release. The Chief Medical Officer of the concerned district shall be asked to conduct proper health check-ups of such prisoners/undertrials before their release on parole or interim bail. They may also be requested to make necessary arrangements regarding the medical examination (COVID-19 Examination) of such prisoners/undertrials before they are transmitted from the jail to their respective places.

MEETING OF HON'BLE HIGH POWER COMMITTEE DATED 23.06.2021:

In compliance of the Order dated 07.05.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petitions (C) No. 1/2020-IN RECONTAGION OF COVID-19 VIRUS IN PRISONS and order dated 06.05.2021 passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) No. 58 of 2021 (Omveer Singh Vs. State of Uttarakhand and others) and as per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, the Second Hon'ble High Power Committee meeting was convened on 23.06.2021. The said meeting was chaired by the Hon'ble Mr. Justice Manoj Tiwari, Executive Chairman, UKSLSA and other members of the committee, Secretary, Home Govt. of Uttarakhand and IG Prison, Uttarakhand Dehradun have attended the meeting. Hon'ble High power committee has recommended that 24 convicted prisoners and 79 under trial prisoners shall be released on parole/interim bail only for 60 days. The convicts and under-trials of other countries be not considered for release on parole/interim bail by the Hon'ble Committee considering the future complications regarding ensuring their presence in the course of trial/in jails for serving the sentences. The list of sick convicts/under-trials prisoners has taken into consideration to be released on parole/interim bail. It is directed that the other conditions shall be as per the previous order/recommendation of Hon'ble High Powered Committee.



VIDEO CONFERENCING SESSION:

1. As per directions of Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA, Nainital a meeting on 04.05.2021 was convened by the UKSLSA with secretaries, District legal services authorities of the state of Uttarakhand through Video Conference. The meeting was chaired by the Hon'ble member secretary UKSLSA Sri R.K.Khulbe. In the said meeting issues regarding progress report of DLSAs in light of the letter dated 21.04.2021 of NALSA, Legal Aid related activities of DLSAs during the second wave of COVID-19 Pandemic were discussed.

2 On 21.06.2021, again a Video conferencing session was conducted. During this VC Session the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA was interacted with the Chairpersons and Secretaries of District Legal Services Authorities. In the said video conferencing session the matter regarding upcoming National Lok Adalat (10.07.2021) and other issues were discussed.



REGIONAL CONSULTATION (NORTHERN ZONE) OF STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES:

As per directions of Hon'ble Executive Chairman, National Legal Services Authority, a Regional Consultation (Northern Zone) of State Legal Services Authorities was held on 14th June, 2021 through virtual mode. The said Regional Consultation was chaired by the Hon'ble Executive Chairman, NALSA and attended by the Hon'ble Executive Chairman and Member Secretary, Uttarakhand SLSA, Nainital including the Hon'ble Executive Chairman, State Legal Services Authorities Jammu & Kashmir, Ladakh and Uttar Pradesh. Points for Discussion of the afroesaid Regional Consultation were:

- (1) Front Offices
- (2) Panel Lawyers –review, reassess and resize of panel
- (3) Retainer Lawyers
- (4) Early Access to Justice at Pre-Arrest, Arrest and Remand Stage
- (5) Legal Aid Defense Counsel
- (6) Engagement of Senior Advocate / Advocates having 10 years of professional experience
- (7) Pending Bills of Panel Lawyers



LEGAL LITERACY CAMPAIGN DRIVE THROUGH MOBILE VAN/VIDHIK SEVA RATH:

From 01 April, 2021 to 08th April, 2021, eight (08 Days) campaign drives were conducted in the remotest villages of district Pithoragarh through Mobile Van/Vidhik Seva Rath. During the said period Legal Literacy Camps were organized in 24 villages situated in remote areas of district Pithoragarh, as well as in urban areas of the district. During the legal literacy camps common masses were sensitized by displaying documentary films relating to Mediation Mechanism, Women Empowerment, Lok Adalats and Free Legal Services provided by the Legal Services Institutions in the State of Uttarakhand.

Legal Literacy Camp at Village Balakot, Pithoragarh on 01.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Meldugari, Pithoragarh on 01.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Dhamora, Pithoragarh on 01.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Jhulaghat, Pithoragarh on 02.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Dooni, Pithoragarh on 01.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Muna Kot, Pithoragarh on 01.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Kothara, Pithoragarh on 03.04.2021.



Legal Literacy Camp at Village Kotamanya, Pithoragarh on 05.04.2021.



Mobile van legal literacy camp on 06.05.2021 at remote village of district Pithoragarh.



Legal Awareness through Mobile Van at remote areas of district pithoragarh on 06.04.2021



Legal Literacy Camp at Village Naini Saini, Jajardeal, Pithoragarh on 07.04.2021.



Legal Literacy Camp through Mobile Van conducted at remote area on 07.04.2021



Mobile Van Legal Literacy Camp conducted on 08.04.2021



MULTIPURPOSE LEGAL AWARENESS CAMP AT GOVT. JR. HIGH SCHOOL, BACHHAM, BAGESHWAR:

DLSA **Bageshwar** has organized a Multipurpose Legal Awareness Camp on 04th April, 2021 at Govt. Junior High School, Bachham, Bageshwar. The said camp was inaugurated by the District Judge/Chairman, DLSA Bageshwar. In the Camp, stalls were set up by the different government departments and the common people were get benefitted by this. 20 Farmers have been motivated to fill the form for *Kisan Samman Nidhi*. 154 people were benefited by providing them medicine through medical department. During the camp, Hans Foundation, an NGO conducted medical checkup of the people and distributed them medicines etc. as per their requirement. Total 50 Workers were benefited by filling their forms for registration with Labour Department. 25 persons have been provided Ration Cards. The Participants were also sensitized about Govt. Welfare Schemes run by the Social Welfare Department and Labour Department etc., about Legal Aid Information System (LAIS) and Legal Services Management System (LSMS) developed by the UKSLA and NALSA respectively.



OBSERVATION OF "WORLD HEALTH DAY":

The unparalleled value of good health is celebrated on the occasion of **"World Health Day"** on 07th April of every year. In order to observe the World Health Day, all the DLSAs have been directed to organize awareness programme /Webinar in co-ordination with Health Department.

DEHRADUN

"World Health Day" was celebrated on 07.04.2021 at prince chauk, Jain Dharamshala, Dehradun.

UTTARKASHI

"World Health Day" was celebrated on 07.04.2021 in the District Hospital Uttarkashi in cooperation with Health Department.



CELEBRATION OF "WORLD ENVIRONMENT DAY":

As mentioned in the Plan of Action for the month of June, 2021, 'World Environment Day' was observed throughout the State of Uttarakhand. On that day District Legal Services Authorities of the State have organized Plantation Programmes, Legal Literacy Camps and Webinars.

Brief report about the activities such as Plantation Programmes, Webinars, Legal Literacy Camps organized by the District Legal Services Authorities is as under:

ALMORA

On 5th june 2021, the occasion of **"World Environment Day"**, Secretary DLSA Almora along with PLVs of the DLSA has conducted plantation programme at 13 places in the district.



BAGESHWAR

On the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021 PLVs enrolled with DLSA Bageshwar has conducted plantation at about 16 places in the district. 01 nukkad natak was displayed by the PLV's on the theme of 'Benefits of Plantation'.



CHAMOLI

PLVs of DLSA Chamoli have conducted 06 Plantation programmes at 06 places of District Chamoli on the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021.




CHAMPAWAT

During the **"World Environment Day"** on 05.06.2021 the Plantation programme was organized at 13 places by the DLSA Champawat and different kinds of plants were planted in the district.



DEHRADUN

PLVs enrolled with DLSA Dehradun have planted different kind of plants within their deputed areas in the district during the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021. A virtual symposium was organised by Dlsa.



HARIDWAR

Secretary, DLSA and PLVs enrolled with DLSA have carried out plantation activities at 04 places of the district during the 05.06.2021 on the occasion of **"World Environment Day"**.



NAINITAL

DLSA Nainital organized a webinar on the occasion of **"World Environment Day"** and PLVs of the district have conducted plantation during the day on 05.06.2021.



PAURI GARHWAL

TLSC Kotdwar have organized plantation programme within tehsil Kotdwar on the occasion of **"World Environment Day"** on 05.06.2021. Live Webinar was also conducted by DLSA Pauri Garhwal.



PITHORAGARH

Plantation programme was held by the PLVs enrolled with DLSA Pithoragarh at 04 places of the district on 05.06.2021 during **"World Environment Day"**.



RUDRAPRAYAG

“**World Environment Day**” was observed on 05.06.2021 and during the day Plantation programme was conducted by the Chairperson and Secretary, DLSA & PLVs at 20 places in district Rudraprayag.



TEHRI GARHWAL

25 Plantation campaign were held throughout district Tehri Garhwal during the day 05.06.2021 on the “**World Environment Day**”. The said programme was organized by the Secretary, DLSA and PLVs of the District.



UDHAM SINGH NAGAR

DLSA U.S. Nagar and 65 PLVs of the district have conducted plantation activities and different kind of plants was planted during the said plantation drive on 05.06.2021 on the occasion of “**World Environment Day**”.





UTTARKASHI

In order to observe **“World Environment Day”** Secretary, DLSA Uttarkashi and PLVs has planted different kind of plants at about 31 places throughout the District Uttarkashi on 05.06.2021.



'परिजात' पौधा रोपा



उत्तराखण्ड (सीडी) जलसंचयन विभाग के सहयोग से जम्मू जिले के 'परिजात' प्रजाति के पौधे का रोपण किया। उत्तराखण्ड जलसंचयन विभाग के सहयोग से जम्मू जिले के 'परिजात' प्रजाति के पौधे का रोपण किया। उत्तराखण्ड जलसंचयन विभाग के सहयोग से जम्मू जिले के 'परिजात' प्रजाति के पौधे का रोपण किया। उत्तराखण्ड जलसंचयन विभाग के सहयोग से जम्मू जिले के 'परिजात' प्रजाति के पौधे का रोपण किया।

OBSERVATION OF “INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING”:

On 26.06.2021, the DLSAs have observed **“International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking”** in the State of Uttarakhand. The said programme was conducted by the DLSAs as per directions of UKSLSA in the Plan of Action for June, 2021. During the day District Legal Services Authorities have organized online Legal Literacy Programmes/Webinars.



DLSA Almora organized a webinar on 26.06.2021 to observe **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"**



Secretary, DLSA **Bageshwar** organized a webinar to observe **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** on 26.06.2021

PLVs of DLSA **Champawat** organized Legal Awareness Camp to observe **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** on 26.06.2021



On 26.06.2021, in order to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking" a programme was organized by the DLSA **Dehradun** & PLVs in cooperation with other departments & NGOs.



DLSA **Nainital** organized a Webinar on 26.06.2021 to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking."

Secretary, DLSA **Pithoragarh** conducted a webinar on 26.06.2021 through Google Meet with Judicial Officers, Panel & Retainer Lawyer, PLVs in order to observe "International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"



DLSA **Uttarkashi** observed **"International Day Against Drug Abuse And Illicit Trafficking"** by organizing webinar on 26.06.2021.

LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS) PORTAL:

As per directions and guidance of Hon'ble the then Chief Justice/Patron-in-Chief, Uttarakhand SLSA, Nainital, a web based application (open source) namely **LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS)** has been developed to access services of legal aid and to monitor the activities being carried out through legal aid easily and efficiently. The said ambitious web application aims to provide free legal aid to the needy people and other concerned stakeholders.

District wise pendency of the cases and other Data in the Online Portal (<https://uklegalaidservices.uk.gov.in/>) which is available for Panel Lawyers, PLVs and also for every needy/common mass is as under:




कानूनी सहायता जानकारी प्रणाली (LAIS)

उत्तराखण्ड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (UKSLSA)

[होम](#) [हमारे बारे में](#) [हमारे संकेतकें](#) [सोशल-मीडिया लिंकि](#) [सहयोगकर्ताओं से सहायता](#)


कुल आवेदन स्थिति



HCLSC / SLSA आवेदन



जिल्ले के अनुसार संविध आवेदन



जिला	आवेदन संख्या
Almora	71
Chamoli	95
Dehradun	42
Haridwar	107
Rudrapur	213
Uttarakhand	178
Dehra Dun	19
Almora	27
Chamoli	79
Dehradun	22
Rudrapur	223
Uttarakhand	309
Haridwar	267

ऑनलाइन रिकार्ड का इंटीकरेशन का

फिर से खोजें और चुनें

75% से चुनें

संलग्न फाइलें

यामला संख्या	न्यायपीठ आईडी	तारीख	स्थिति
WPCL/461/2020	1054	2021-04-06	★ P
WPCL/2211/2016	1021	2019-05-23	★ D
CLA/916/2019	1063	2019-09-03	★ P
CLA/2014	1052	2019-07-22	★ D
CLA/227/2015	1056	2019-09-17	★ P
WPCL/1101/2019	1067	2019-08-30	★ D

अधिक

जिला - कानूनी सहायता केस रिकार्ड



उच्च न्यायालय - केस स्थिति



यह वेबसाइट के कानूनी सहायता केस और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए है। यह वेबसाइट के उपयोग के लिए आवश्यक है।

यह वेबसाइट का स्वामित्व और संचालन उत्तराखण्ड राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण (UKSLSA) द्वारा किया गया है। यह वेबसाइट के उपयोग के लिए आवश्यक है।

यह वेबसाइट के उपयोग के लिए आवश्यक है।

AWARENESS ABOUT PERMANENT LOK ADALAT:

As per directions of Uttarakhand SLSA, Nainital, Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun has conducted meeting and awareness programme on 25.06.2021. The said programme was attended by the Chairman and Members of Permanent Lok Adalat, Chief Managers of Union Bank of India, AXIS Bank of India, Bank of Baroda etc. In the said programme participants were sensitized about the easy & amicable settlement of the cases related to Banking & Financial matters.

स्थाई लोक अदालत में की जा सकती है एक करोड़ रुपये तक के विवादों की अपील गोल्डन कार्ड से क्लेम न मिला तो स्थाई लोक अदालत आइए

देहरादून | अखिल चौधरी

जनपक्षीय सुविधा में विवाद या गड़बड़ी ही तो स्थाई लोक अदालत में लेनी ही समाधान या बचाने हैं। गोल्डन कार्ड से क्लेम या बचने नहीं मिलने के मामले भी समाधान आ रहे हैं। ऐसे मामले में जो वहां अपील की जा सकती है। इसके लिए कोर्ट फीस या अधिवक्ता का शुल्क भी चुकाना नहीं होगा। यहां समाधान अर्थात् सिविल कोर्ट के मुकामलों परपी काय है। उत्तराखण्ड में स्थाई लोक अदालत का जन्म में चल रही है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और मूढनगर हैं। शुक्रवार को जिला स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष (प्रीमियर) राजीव कुमार ने अध्यक्ष को मिलने वाली सुविधाओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, स्थाई लोक अदालत 2019 से चल रही है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। जल्दी सेबाधिका में लोक अदालत कोर्ट



राजीव कुमार

खात्र को वापस मिली आधी से ज्यादा कोफिंग फीस
 महीने के अग्रसार, कुछ मात्र एक लाख के क्लेम में कोफिंग राशिकान में ही गई फीस लौट कर आती थी। उन्होंने कोफिंग राशिकान को साफ कर 85 हजार रुपये फीस दी। उनका क्लेम जिन फीस को लेकर कर रहा था, उसके लिए 12वीं में 70% अंक जमावी है। कोर्ट के क्लेम अंक की 30% से राशिकान में पहले अंक का अने पर फीस लौटाने की बात कही। बात में इनकार कर दिया। कोर्ट ने छत्र को 50 हजार राशि कोफिंग राशिकान में वापस दिया। वीर गांव में 16 करोड़ का समाधान का मामला को 86.66 लाख रुपये प्रतिवार डिक्लेज गांव। इस ही में ऑनलाइन सुवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- इस तरह के मामलों का होता है समाधान**
- वापु, उद्योग, रेल, अल्पार्थी सेवा मामले
 - बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड बीएम सेवा
 - आव-कर या टैलीफोन सेवा मामले
 - मजदूर-कॉलिंग ड्र कोफिंग राशिकान की जुद्धे मामलों का भी निराकरण होता है।
 - ऐसे विभाग, जो फिजिकली-कॉलेज को हो
 - लोक सभाओं का स्वयंसेवक प्रणाली
 - अत्याचार या अविचारों का सेवा
 - अपील और नु-संवाद सेवा में जुद्धे हुए मामलों में भी होती है सुवाई

जानें हैं और यहां कोर्ट फीस लगती है। सुवाई में लंबा समय भी लग सकता है। जबकि, स्थाई लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगती और न ही कमीशन की जरूरत पड़ती है। सुला-समझौते पर समाधान की कोशिश की जाती है। कई बार मामलों वाली निपटारी है जो क्लेम पर निर्भर किए जाती हैं। इसकी प्रकृति पर अपील नहीं की जा सकती। ट्रायल समय बहुत कम रहता क्या है। अधिसूचना तीन में पांच घण्टी में भी पांच का निराकरण किया जाता है। यहां एक करोड़ रुपये तक के विवादों को सुनवाई का प्रावधान है। पर किसी कोर्ट में अपील न की गई हो।

➤ **खामियां दूर हो गेज का**

लोक अदालत : बीमा क्लेम के पंद्रह लाख चुकाने का आदेश

देहरादून | अखिल चौधरी

स्था। क्लेम निवृत्तों हुए को क्लेम में सुला कर दिया। स्थाई लोक अदालत में अग्रसार में सुला और क्लेम में सुला करने में जोर दे दिया। इनके अग्रसार में सुला करने में जोर दे दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया।

स्थायी लोक अदालत में होगा इलाज संबंधी शिकायतों का समाधान

निश्चुलक लड़ सकते हैं किरा दो से तीन महीने में होता है निर्णय

अग्रसार समाधान के लिए सुविधाओं को लेकर वहां सुनवाई का प्रावधान है। यहां कोर्ट फीस नहीं लगती है। सुला-समझौते पर समाधान की कोशिश की जाती है। कई बार मामलों वाली निपटारी है जो क्लेम पर निर्भर किए जाती हैं। इसकी प्रकृति पर अपील नहीं की जा सकती। ट्रायल समय बहुत कम रहता क्या है। अधिसूचना तीन में पांच घण्टी में भी पांच का निराकरण किया जाता है। यहां एक करोड़ रुपये तक के विवादों को सुनवाई का प्रावधान है। पर किसी कोर्ट में अपील न की गई हो।



राजीव कुमार

यहां कर शिकायत
 piasdno@outlook.com
 98570-96913

सुला अधिक ले रहा है फीस तो कोर्ट में जाने विवादों को सुला करने में जोर दे दिया। इनके अग्रसार में सुला करने में जोर दे दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया।

- स्थायी लोक अदालत में इन मामलों में होती है सुनवाई**
- अल्पार्थी सेवा
 - बैंकिंग
 - आव-कर या टैलीफोन सेवा
 - मजदूर-कॉलिंग ड्र कोफिंग राशिकान की जुद्धे मामलों का भी निराकरण होता है।
 - ऐसे विभाग, जो फिजिकली-कॉलेज को हो
 - लोक सभाओं का स्वयंसेवक प्रणाली
 - अत्याचार या अविचारों का सेवा

इंश्योरेंस कंपनियों को देना होगा मुआवजा

लोक अदालत
 देहरादून | अखिल चौधरी

स्था। क्लेम निवृत्तों हुए को क्लेम में सुला कर दिया। स्थाई लोक अदालत में अग्रसार में सुला और क्लेम में सुला करने में जोर दे दिया। इनके अग्रसार में सुला करने में जोर दे दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया।

दो शिक्षण संस्थानों को फीस लौटाने के आदेश

हिन्दुस्तान
 देहरादून | अखिल चौधरी

स्था। क्लेम निवृत्तों हुए को क्लेम में सुला कर दिया। स्थाई लोक अदालत में अग्रसार में सुला और क्लेम में सुला करने में जोर दे दिया। इनके अग्रसार में सुला करने में जोर दे दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया। 15 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया।

SUCCESS STORIES

01

16 वर्षीय बालिका को नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को प्रार्थिनी श्रीमती आशी जेम्स निवासी-वार्ड नं0, गढ़ी कैण्ट, देहरादून द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री द्वारा गलत संगति में पड़ जाने पर परामर्श लिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त प्रार्थिनी द्वारा अपने पत्र में यह कथन किया गया कि कुछ नशा बेचने वाले लोगों ने उसकी पुत्री के साथ नशा बेचने हेतु सम्पर्क किया एवं उसे पैसों का भी लालच दिया गया। नशा बेचते-बेचते 02 माह के अन्दर ही वह भी नशों की इतनी आदी हो गयी कि उसे नशा करने के लिये अपने घर के सामान की चोरी भी करने लगी एवं घरवालों से पैसे भी मांगने लगी। घरवालों द्वारा पैसे न दिये जाने से इंकार करने पर वह अपने घरवालों पर चाकू से भी हमला करने लगी।
- वह नशे में इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी है कि घर से सहयोग न होने पर वह नशे के चलते कई-कई दिनों तक घर से बाहर दोस्तों के साथ रहती है एवं अब वह काफी समय से अपने घर नहीं लौटी है जिससे उक्त प्रार्थिनी को बहुत चिंता हो रही है कि वह गलत हाथों में न पड़ गयी हो और उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाये।
- प्रार्थिनी जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गयी तो पुलिसवालों ने कहा कि आपकी पुत्री तो बार-बार घर से गायब होती रहती है। हम बार-बार रिपोर्ट नहीं लिखेंगे।
- प्रार्थिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि कुछ दिन पहले प्रार्थिनी की पुत्री के कुछ दोस्तों के साथ कहा-सुनी भी हो गयी थी जिस पर उनकी पुत्री के दोस्तों ने उक्त प्रार्थिनी को धमकी दी थी कि वह अब उनकी पुत्री को हमेशा के लिये गायब कर देंगे जिस पर प्रार्थिनी बहुत घबरा गयी है। अतः प्रार्थिनी यह चाहती है कि वह अपनी पुत्री को नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराये।
- तत्पश्चात् किसी व्यक्ति ने प्रार्थिनी को नशे की रोकथाम करने वाली संस्थाओं के बाबत् जानकारी दी गयी।
- तत्पश्चात् प्रार्थिनी ने मैक संस्था, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण से सम्पर्क किया।
- उक्त पराविधिक कार्यकर्तागण द्वारा इस मामले को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के संज्ञान में लाया गया।
- तत्पश्चात् इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम का गठन कर उक्त महिला की पुत्री को रेस्क्यू कर नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- तत्पश्चात् पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम द्वारा उक्त प्रार्थिनी की पुत्री को ढूँडकर रेस्क्यू किया गया एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के सहयोग से नशामुक्ति केन्द्र, देहरादून में भर्ती करवाया गया।



03 बच्चे जिनको पहले भी रेस्क्यू किया गया था, को दुबारा नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पराविधिक कार्यकर्तागण के सहयोग से "संकल्प नशामुक्ति देवभूमि" के तहत कबाड़ बीनने वाले तीन बच्चे जोकि नशे में लिप्त थे को पहले भी नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया था।
- परन्तु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना मिली कि उक्त 03 बच्चे जिनको पहले भी रेस्क्यू किया गया था एवं उनके परिवारजनों द्वारा यह कथन किया गया था उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जायेगा परन्तु सही पुर्नवास एवं सहयोग न मिल पाने के कारण उनके परिवारजनों द्वारा उनकी पढ़ायी रोक कर उनको फिर से कबाड़ बीनने के लिये लगा दिया गया। तत्पश्चात् वह बच्चे फिर से कबाड़ बेचकर नशा करने लगे।
- नशे की हालत में यह बच्चे सड़क किनारे नालियों एवं नगर क्षेत्र के विभिन्न खण्डरों में रहने लगे।
- उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पुनः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण की टीम का गठन किया गया।
- उक्त गठित टीम द्वारा सी0ओ0सिटी0, देहरादून के नेतृत्व में उक्त बच्चों को पुनः रेस्क्यू किया गया एवं बच्चों का जी0डी0 डालनवाला थानें में किया गया इसके बाद कोरोनाशन अस्पताल, देहरादून में उन बच्चों की प्रारम्भिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट करवाया गया। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद समाज कल्याण विभाग व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उन तीनों बच्चों को दुबारा रेस्क्यू कर आसरा नशामुक्ति केन्द्र, देहरादून में पुर्नवास के लिये भर्ती करा दिया गया।

कबाड़ चुगने वाले नशे में संलिप्त बच्चों को किया रेस्क्यू

पहले भी रेस्क्यू किया था, नहीं मिला पुनर्वास

शाह दादाम्मा संबाठवाला देहरादून। दूर नगर क्षेत्र में जिला समाज कल्याण देहरादून व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की अंश से नया मुक्त भारत अभियान के तहत कबाड़ चुगने वाले नशे में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

इन बच्चों को पहले भी रेस्क्यू किया गया था, परंतु सही पुनर्वास न मिलने के कारण इन बच्चों को स्थिति पहले जैसी होने के कारण दुबारा रेस्क्यू किया गया है। पूरे उपरोक्तकण्ड में कोर्टोय संक्रमण के कारण बच्चे का रहे हैं व नशे में संलिप्त बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। नशे की हालत में यह बच्चे सड़क किनारे, नालियों, नगर क्षेत्र के विभिन्न खण्डरों में रहने लगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गठित टीम की अंश से सी0ओ0सिटी0 रोड पर मुफ्त में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए तीन बच्चों में से दो 11 व एक 14 वर्ष का है। रेस्क्यू किए गए बच्चों का कोर्टो डालनवाला थाने किया गया उसके बाद कोरोनाशन अस्पताल में प्रारम्भिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट कराया गया, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आसरा नशा मुक्ति केन्द्र देहरादून में पुनर्वास के लिए भेजा गया। रेस्क्यू टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समीप, समरीय संस्था से प्राप्त की गई, आसरा आसरा नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया।

कबाड़ बीनने वाले तीन बच्चों को कराया मुक्त

बच्चों को पहले भी रेस्क्यू किया गया था, परंतु सही पुनर्वास न मिलने के कारण इन बच्चों को स्थिति पहले जैसी होने के कारण दुबारा रेस्क्यू किया गया है। पूरे उपरोक्तकण्ड में कोर्टोय संक्रमण के कारण बच्चे का रहे हैं व नशे में संलिप्त बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। नशे की हालत में यह बच्चे सड़क किनारे, नालियों, नगर क्षेत्र के विभिन्न खण्डरों में रहने लगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गठित टीम की अंश से सी0ओ0सिटी0 रोड पर मुफ्त में रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए तीन बच्चों में से दो 11 व एक 14 वर्ष का है। रेस्क्यू किए गए बच्चों का कोर्टो डालनवाला थाने किया गया उसके बाद कोरोनाशन अस्पताल में प्रारम्भिक चिकित्सा व कोरोना टेस्ट कराया गया, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आसरा नशा मुक्ति केन्द्र देहरादून में पुनर्वास के लिए भेजा गया। रेस्क्यू टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समीप, समरीय संस्था से प्राप्त की गई, आसरा आसरा नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा लड़की की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग से ₹0 50,000/- दिलाकर सहायता की गयी

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को दूरभाष पर कल्पेश्वरी देवी, निवासी-एम0डी0डी0ए0,रोड, गोरखपुर, देहरादून नामक एक गरीब महिला द्वारा अपनी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता के सम्बंध में मदद मांगी गयी।
- उक्त महिला द्वारा कथन किया गया कि वह एक गरीब महिला है एवं उसके पति का देहान्त हो चुका है। उसकी पुत्री की शादी भी तय हो चुकी है परन्तु पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसे काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह भी डर है कि आर्थिक तंगी होने के कारण उसकी पुत्री की शादी न टूट जाये।
- उक्त मामलें को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पराविधिक कार्यकर्तागण को उस महिला की हर प्रकार से सहायता किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- तत्पश्चात् पराविधिक कार्यकर्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उक्त महिला का आय प्रमाण-पत्र बनवाया गया। उसके पश्चात् आवेदन सम्बंधित समस्त प्रक्रिया पूर्ण करवा के समाज कल्याण विभाग में जमा किये गये।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समाज कल्याण विभाग से जानकारी ली गयी।
- अंत में दिनांक 12.04.2021 को प्राधिकरण द्वारा उक्त महिला को उनकी पुत्री की शादी के लिये समाज कल्याण विभाग से ₹0 50,000/- की आर्थिक सहायता दी गयी जिस पर उक्त महिला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को आभार व्यक्त किया गया।



महिला द्वारा नौकरी हेतु दिये गये पैसे वापस दिलवाया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को प्रार्थीगण श्री संदीप सिंह एवं श्री वीर नौटियाल द्वारा अपनी समस्या के निवारण के सम्बंध में पत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि वह प्राईवेट कम्पनियों में कार्य करते हैं। उनकी पूजा रावत नामक महिला द्वारा उस महिला की चिकित्सीय विभाग में नौकरी लगाये जाने हेतु सम्पर्क किया गया।
- प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया था कि उनकी किसी से नौकरी लगवाये जाने हेतु जान-पहचान नहीं है एवं न ही वह नौकरी लगाने का कार्य करते हैं।
- परन्तु कुछ समय पश्चात् पूजा रावत नामक महिला ने एक प्रार्थीगण से नौकरी लगवाये जाने हेतु दबाव डालने लगी एवं पूजा रावत महिला ने प्रार्थीगण के अन्य दोस्त विकास चन्द्रा नामक व्यक्ति से नौकरी लगवाये जाने हेतु सम्पर्क किया गया।
- प्रार्थीगण के अन्य दोस्त विराज चन्द्रा ने उक्त महिला से नौकरी लगवाये जाने हेतु ₹0 4 लाख की मांग की एवं यह कहा कि वह उस महिला की नौकरी एम्स अस्पताल, ऋषिकेश में लगवा देगा। उक्त महिला ने ₹0 4 लाख प्रार्थीगण वीर नौटियाल के एकाउण्ट में जमा कर दिये।
- परन्तु कुछ समय पश्चात् कोरोना महामारी के चलते काम न हो पाने के कारण प्रार्थीगणों ने उक्त महिला को कुछ पैसे दे वापस कर दिये। परन्तु कुछ पैसे शेष थें।
- महिला द्वारा शेष पैसे वापस दिये जाने हेतु जब प्रार्थीगणों से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनके द्वारा विकास चन्द्रा जिसके पास बाकी शेष रूपया है को पैसे वापस करने हेतु कहा गया तो उस व्यक्ति द्वारा शेष पैसे वापस करने से मुकर गया।
- तत्पश्चात् पूजा रावत महिला ने कोतवाली, देहरादून में प्रार्थीगणों के खिलाफ शेष रूपये दिये जाने के सम्बंध में एक शिकायत दर्ज की।
- अंत में प्रार्थीगणों द्वारा परेशान होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को उक्त महिला के साथ काउंसलिंग किये जाने एवं समस्या के निवारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया।
- उक्त मामलें को संज्ञान में लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की टीम का गठन कर उक्त सभी व्यक्तियों के साथ काउंसलिंग किये जाने हेतु आदेशित किया।
- जिस पर टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य काउंसलिंग कर एक समझौतानामा तैयार किया गया जिसमें तीनों पक्षों द्वारा समझौतानामे पर दस्तखत किये गये, जो कि निम्न प्रकार है:-


समझौतानामा	
1. श्री वीर नौटियाल पुत्र श्री मदन लाल नौटियाल, निवासी वीरगढ़, जयपुर काले, देहरादून।	अतः आज दिनांक 08.04.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में
2. श्री संदीप लाल पुत्र श्री मदन लाल नौटियाल निवासी विरसोली, देहरादून।	समझौता द्वारा उक्त समझौते पक्षों के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किया गया है।
प्रथम पक्ष: 	प्रथम पक्ष: 
दूसरी पक्ष: प्रथम पक्ष श्री मदन लाल सिंह लाल निवासी विरसोली, देहरादून।	द्वितीय पक्ष: 
द्वितीय पक्ष: 	पक्ष: 
दिनांक 08.04.2021 को पक्षों के मध्य निम्नलिखित आकार पर आरंभ की समझौता की गयी है जिसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं:-	
1. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से दिये गये पैसे ₹0 1,00,000/- अपनी विवाह समारोह के लिए ली गये थे जोकि प्रथम पक्ष ने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जमा दूने समझौते पर द्वितीय पक्ष को ₹0 20,000/- जमा कर दिये गये।	
2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा दूने ₹0 20,000/- जमा दूने प्रथम पक्ष से की समझौते पर द्वितीय पक्ष को जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है।	
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा शेष पैसे ₹0 1 लाख 20 हजार जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है जोकि प्रथम पक्ष को जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है।	
4. यह कि उक्त पक्ष समझौतानामा को पक्षों द्वारा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को जमा दूने जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है जोकि प्रथम पक्ष को जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है।	
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है जोकि प्रथम पक्ष को जमा दूने जिला प्रशासन देहरादून में जमा करा है।	
	अतिरिक्त प्रमाण: 
	अतिरिक्त प्रमाण: 
	श्री मदन लाल सिंह लाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।
	श्री मदन लाल सिंह लाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून।

PHOTO GALLERY AND NEWS ITEMS OF THE ACTIVITIES ORGANIZED BY THE LEGAL SERVICES INSTITUTIONS IN THE STATE OF UTTARAKHAND

ALMORA

Visit of observation Home by Secretary, DLSA Almora on 01.06.2021.

PLV of DLSA, Almora distributing the ration kits to the public on 25.05.2021.



Visit of Rehabilitation Center Hawalbagh, Almora by the Secretary, DLSA Almora on 23.05.2021

Secretary, DLSA, Almora visiting the Observation Home



Visit of Labour Department by the Secretary DLSA on 01.06.2021.

Secretary, DLSA Almora visited District Hospital & COVID Care Center at Almora



Visit of Vaccination Center by the Secretary, DLSA Almora on 15.05.2021



PLVs of DLSA Almora awared the people on 26.06.2021 at remote villages about ill effects of Drug Abuse and Drug Menace and about National Lok Adalat to be held on 10.07.2021.



PLV of DLSA, Almora awared the public regarding COVID-19 on 25.05.2021.

PLV of DLSA, Almora sanitized the villages on 27.05.2021



BAGESHWAR

On 21.06.2021 Front Office/Legal Aid Clinic was visited by the Secretary, DLSA Bageshwar.

On 24.06.2021 a Pre-meeting was organized through virtual mode with the stakeholders, to make success National Lok Adalat to be held on 10.07.2021.





प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम की मदद से ग्रामीणों को COVID-19 के लक्षणों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें टीका लगाया गया।

CHAMOLI

PLVs of DLSA Chamoli helped the common mass in registration and vaccination under COVID-19.



प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम की मदद से ग्रामीणों को COVID-19 के लक्षणों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें टीका लगाया गया।

In cooperation with district administration distributed ration kit on 22.05.2021 to the villagers in remote areas of the district.



PLVs help the people in Registration & Vaccination on 18.05.2021 at Vaccination center of a Village.



PLVs help Medical Department in registration and medical check-up under COVID-19 during 01st week of June, 2021



CHAMPAWAT

PLV of DLSA, Champawat distributing making aware the public regarding COVID-19



PLV of DLSA, Champawat distributing the medical kits to the public.



As per direction of DLSA Champawat PLVs have distributed Mask and Sanitizer and Immunity Medicine, also aware about National Lok Adalat on 10.07.2021

PLV of DLSA, Champawat making aware the public regarding COVID-19 Pandemic.



PLV of DLSA Champawat distributing masks to the public



PLVs distributed Homeopathy Immunity Medicine on 28.06.2021 to the people living in remote areas of the district.



PLVs help common mass in registration and vaccination at remote village on 28.06.2021.



DEHRADUN

Vaccination Center established with the help of DLSA Dehradun at District Court Campus, Dehradun.

PLVs of DLSA Dehradun have distributed Mask and Sanitizer in slum areas of the district.



PLV of DLSA, Dehradun distributing the ration kits in the slum area.

PLV of DLSA, Dehradun distributing the essential items to the public.



PLV distributed ration kit on 30.05.2021 to the needy people living road side in district Dehradun



किशोरी को नशामुक्ति केंद्र में करवाया भर्ती
 देहरादून: नयी जो लाग में दुबरी एक किशोरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सामाजिक कार्यवाही में लाने के बाद नया सुनि केंद्र में भर्ती करवाया है। सबसे प्रथम किशोरी को नया सुनि केंद्र में भर्ती करवाया है। सबसे प्रथम किशोरी को नया सुनि केंद्र में भर्ती करवाया है। सबसे प्रथम किशोरी को नया सुनि केंद्र में भर्ती करवाया है।

कोरोना टीकाकरण और कानून की जानकारी दी
 देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया और कानून की जानकारी दी।

21 जून 2021 नशे की लत से डगमगा रहे युवतियों के भी कदम
 देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने नशे की लत से डगमगा रहे युवतियों के भी कदम बढ़ाए।

सुझोवाला जेल से पेट्रोल पर रिहा हुए 105 विचाराधीन व 5 दोषसिद्ध बंदी
 देहरादून, 20 मई (स.स.) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने सुझोवाला जेल से पेट्रोल पर रिहा हुए 105 विचाराधीन बंदी व 5 दोषसिद्ध बंदी को रिहा किया।

उत्तराखंड शनिवार 22 मई 2021 2
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने चकराता के गांव में पहुंच कर किया दौरा - नैहा कुशवाहा
 देहरादून: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने चकराता के गांव में पहुंच कर किया दौरा।

पंजाब केसरी।।

उत्तराखंड



HARIDWAR

PLV of DLSA, Haridwar helping the public at the Vaccination Center on 24.05.2021.



NAINITAL

Visit of Women Rehabilitation Center Haldwani on 16.06.2021 by the Secretary, DLSA Nainital

Secretary, DLSA Nainital visited SOS J.N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, Bhimtal, Nainital, Uttarakhand and aware the children of School about importance of Education.



Visit of Sub-Jail Haldwani by the Secretary, DLSA Nainital on 16.06.2021



सचिव खान ने किया एसओएस विलेज भीमताल का निरीक्षण

पुनः विजय संकायद्वारा भीमताल/वैतीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतीताल व मानवीय जिला जज/अपेक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतीताल से सुनेद जेपी के निरीक्षणद्वारा विधिक जज सीडी/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतीताल इत्यान सी० खान द्वारा सुकन्या को एम ओ एस मिलेज भीमताल का निरीक्षण किया गया। एम ओ एस विजय भीमताल के उच्चतम मं में रह कर उनका बचपे रिखा प्रलग करी है। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा एम ओ एस विलेज भीमताल से बचपे से सुकन्या की सपी, विधिक जज द्वारा बचपे की सपुई के प्रलग के बरी से बताया गया। उद्येन कड कि प्रमलता का बरी सेंटेंटर गरी गेता। प्रमलता एम एलए प्रल करने के लिए विचारिणी की अनुमतिवन, दुदु इच्छा संकल्प, अलग विधान के साथ ही बचिन परिचये संग चली। सी खान ने बचपे को पीकपी अधीनमन के बरी में जानकारी भी दी गयी। विधिक जज सी खान द्वारा सुनेने पर बचपे द्वारा खानपान, सन-सान अदि से



सम्बन्धित बरी समन्य गरी बताया गयी। निरीक्षण के दौरान एम ओ एस विजय भीमताल के प्रमलता अनुमतिवन प्रीत ने सहाय व संपिदाईकर प्रमलता बचपे तनु सट्टापैकरीविसन करणे के लिए बला गया। विरमने समन्य में विधिक जज द्वारा पाठ पढ़िा करणे की बला गया। निरीक्षण के दौरान एम ओ एस मिलेज सतक सुपुन पाठ गया।

बंदियों को कानूनी सलाह

सहाय संकायद्वारा वैतीताल/वैतीताल सहाय गपरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज/अपेक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतीताल सकेज जेपी के निरीक्षणद्वारा विधिक जज सी.डी. 3/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यान सी. खान द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करणे का कि जेल में बंदी 18 वर्ष से कम उम्र का बंदी भी नहीं है तथा कोई जेल बंदी भी नहीं है जिसकी पास वैती की बचपे को विना अधीनमन न हो। जिला कारागार वैतीताल में विधायकीय बंदियों की संख्या 141 एवं सचिव विजय बंदियों की संख्या 20



है। उपरोक्त सभी बंदियों से सन-सान की सपी तनु बंदियों को बताया गया कि यदि उनका पास वैती की बचपे का सपुई अधीनमन गरी है तो - विना। निरीक्षण सेना प्राधिकरण, विजय संकाय अधीनमन उपरमन्य बला गकल है। इत्ये अधीनमन जिला कारागार वैतीताल में विधिक सहायता संग आरकलता विरम का आवाजन भी किया गया, आरकलता विरम को सान्यत से विधिक जज द्वारा बचपे की उमर में जानकारी की गरी में जानकारी दी गयी। विधिक जज द्वारा सन से सुकन्या के प्रलग के बरी से बताया गया। उद्येन कड कि प्रमलता का बरी सेंटेंटर गरी गेता। प्रमलता एम एलए प्रल करने के लिए विचारिणी की अनुमतिवन, दुदु इच्छा संकल्प, अलग विधान के साथ ही बचिन परिचये संग चली। सी खान ने बचपे को पीकपी अधीनमन के बरी में जानकारी भी दी गयी। विधिक जज सी खान द्वारा सुनेने पर बचपे द्वारा खानपान, सन-सान अदि से

सिविल जज ने कोविड सेंटरो की व्यवस्था देखी

सिविल जज ने कोविड सेंटरो की व्यवस्था देखी। जिला जज/अपेक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैतीताल सकेज जेपी के निरीक्षणद्वारा विधिक जज सी.डी. 3/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यान सी. खान द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करणे का कि जेल में बंदी 18 वर्ष से कम उम्र का बंदी भी नहीं है तथा कोई जेल बंदी भी नहीं है जिसकी पास वैती की बचपे को विना अधीनमन न हो। जिला कारागार वैतीताल में विधायकीय बंदियों की संख्या 141 एवं सचिव विजय बंदियों की संख्या 20



है। उपरोक्त सभी बंदियों से सन-सान की सपी तनु बंदियों को बताया गया कि यदि उनका पास वैती की बचपे का सपुई अधीनमन गरी है तो - विना। निरीक्षण सेना प्राधिकरण, विजय संकाय अधीनमन उपरमन्य बला गकल है। इत्ये अधीनमन जिला कारागार वैतीताल में विधिक सहायता संग आरकलता विरम का आवाजन भी किया गया, आरकलता विरम को सान्यत से विधिक जज द्वारा बचपे की उमर में जानकारी की गरी में जानकारी दी गयी। विधिक जज द्वारा सन से सुकन्या के प्रलग के बरी से बताया गया। उद्येन कड कि प्रमलता का बरी सेंटेंटर गरी गेता। प्रमलता एम एलए प्रल करने के लिए विचारिणी की अनुमतिवन, दुदु इच्छा संकल्प, अलग विधान के साथ ही बचिन परिचये संग चली। सी खान ने बचपे को पीकपी अधीनमन के बरी में जानकारी भी दी गयी। विधिक जज सी खान द्वारा सुनेने पर बचपे द्वारा खानपान, सन-सान अदि से

PAURI GARHWAL

Secretary, DLSA Pauri Garhwal has inspected online Radha Devi Old Age Home Pauri on 03.06.2021.



DLSA Pauri Garhwal organized online meeting with PLV and Pane Lawyers on 02.04.2021.

On 04.06.2021 Secretary, DLSA Pauri Garhwal has conducted inspection of District Hospital Pauri where COVID-19 patients being vaccinated.

PLVs Help common mass in Vaccination Center, Satpuli, Pauri Garhwal on 20.06.2021.



PITHORAGARH

DLSA Secretary, conducted an inspection of District Hospital Pithoragarh (Dedicate Covid Care Center) on 23.05.2021.



Visit of Observation Home by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 15.05.2021.



Online webinar was organized on 14.06.2021 with GIC, Myelekh under the implementation of 'Sankalp Nasha Mukt Devbhoomi.'

Visit/Inspection of Village Legal Care & Support Center conducted by the Secretary DLSA Pithoragarh on 23.06.2021.



Webinar on 20.06.2021 about Role of Legal Services Institutions to provide free and Competent Legal Services to the needy persons.



DLSA Pithoragarh organized a webinar under 'Nasha Mukt Devbhoomi' on 24.06.2021 at GIC, Badalu, Pithoragarh.

Inspection of Front Office by the Secretary, DLSA Pithoragarh on 22.06.2021



On 11.06.2021 PLVs distributed Sanitizer and Mask amongst the people.



RUDRAPRAYAG

PLV of DLSA, Rudrapayag distributing the essential items to the public in need.



Online Monthly Meeting of PLVs and Panel Lawyers was held on 03.06.2021, Plan of Action of June & COVID-19 concerns was discussed.

केदियों को अधिकारों की जानकारी दी
 रुद्रप्रयाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (सी.डी.) अनामिका सिंह ने शुक्रवार को जिला कारागार पुरसाडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केदियों की समस्याएँ सुनकर उनका निराकरण किया। साथ ही उन्हें विधिक जानकारी देकर उनके अधिकारों के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि कोई उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता आशीष नेगी, रिटनिंग अधिवक्ता नशीदा खत्री, कारागार अधीक्षक प्रवीर कुमार, सहाय अधिवक्ता/कर्मचारी मौजूद थे। (अस)

PLVs helped Medical Department on 15.06.2021 in Registration & Vaccination during COVID-19 Pandemic.



TEHRI GARHWAL

PLVs of DLSA Tehri Garhwal helped the District Administration for supply of Oxygen Cylinder to the Hospitals on 16.05.2021



PLV of DLSA Tehri Garhwal distributed Ration Kit on 16.05.2021 to the need people in cooperation with District Administration.



Secretary, DLSA Tehri Garhwal inform the common and media through APR News Uttarakhand on 18.06.2021

PLV of DLSA, Tehri Garhwal assisting the public at the Vaccination Centre.





PLVs have distributed sanitizer and mask to the needy people in remote areas of district Tehri Garhwal on 15.05.2021

Distribution of Ration Kit and Medical Kit to the needy persons by the PLVs during 01st Week of June, 2021



PLV of DLSA, Tehri Garhwal assisting the public at the Vaccination Centre

As per direction of UKSLSA Nainital Ration Kits, Medicines & Oxygen Cylinder were provided to needy persons and in Cantonment Zone areas as well in the 03rd week of June, 2021.



UDHAM SINGH NAGAR

Secretary, DLSA conducted surprise inspection on 20.05.2021 to Primary Health Center, Bazpur.

PLV of DLSA Udham Singh Nagar distributing the ration kits to public.



PLVs of the district have assisted to Health Workers in vaccination & registration during COVID-19.





On 21.05.2021 Secretary, DLSA US Nagar has visited the observation Home, Rudrapur. Awareness camp was also organized on the day.

PLV of the district helped Health Department in Registration & Vaccination on 24.05.2021.



PLVs Helped Health Department in Registration and Vaccination during last week of May, 2021.



UTTARKASHI

Secretary, DLSA Uttarkashi visited the Child Observation Home, Dunda on 05th April, 2021



A Legal Literacy Camp was organized on 02.04.2021 with all Stakeholders about rehabilitation of Victims of Crime Against Women.



Front office established at the DLSA Uttarkashi was visited/inspection by the Secretary, Uttarkashi on 01.04.2021.

PLV and Panel Lawyer meeting on 03rd April, 2021 was held at meeting hall of Judgeship, Uttarkashi.



Visit of Legal Aid Clinic established at remote village on 09.06.2021

PLVs of DLSA Uttarkashi distributed Ration Kit to the needy persons



Secretary, DLSA, Uttarkashi visiting the Govt. hospital

Meeting with Monitoring and Mentoring Committee on 14.06.2021.



Distribution of Medical Kit by the PLVs at Mori Block, Uttarkashi on 21.05.2021



CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM (APRIL-2021 TO JUNE-2021)

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation /Settlement Amount	Realized As Fine (in Rs.)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	01	169	97	1,96,73,523	-	97	08	242	17	06
2	BAGESHWAR	01	22	08	19,46,000	-	08	17	452	01	18
3	CHAMOLI	01	82	38	58,75,977	-	38	22	187	05	04
4	CHAMPAWAT	01	80	18	-	-	18	06	197	06	-
5	DEHRADUN	-	-	-	-	-	-	05	490	63	-
6	HARDWAR	-	-	-	-	-	-	23	1502	87	207
7	NAINITAL	01	489	292	4,14,38,162	-	292	26	1612	40	23
8	PAURI GARHWAL	01	333	146	48,03,047	-	146	05	404	14	02
9	PITHORAGARH	01	244	128	1,79,22,867	-	128	19	2469	04	-
10	RUDRAPARYAG	01	42	20	33,09,805	-	20	07	350	02	11
11	TEHRI GARHWAL	-	-	-	-	-	-	02	136	36	11
12	U. S. NAGAR	01	1737	565	13,18,45,455	-	565	12	475	66	41
13	UTTARKASHI	01	109	74	51,23,698	-	74	07	108	16	-
14	HCLSC, NTL	01	171	48	4,63,41,840	-	48	-	-	-	-
15	UKSLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	Total	11	3478	1434	27,82,80,374	-	1434	159	8624	357	335

PROGRAMMES/ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING (APRIL-2021 TO JUNE-2021)

S.N.	District	Lok Adalats organized in Jails		Legal Literacy Camps organized in Jails		Legal Aid provided to Under Trial Prisoners	Jail Visits
		No. of Lok Adalats organized	No. of cases disposed off	No. of camps organized	Benefited persons	No. of benefited Under Trial Prisoners	Total No. of Jail visit
1	ALMORA	-	-	01	200	11	04
2	BAGESHWAR	-	-	-	-	-	-
3	CHAMOLI	-	-	-	-	01	-
4	CHAMPAWAT	-	-	01	33	05	01
5	DEHRADUN	-	-	01	300	33	01
6	HARDWAR	-	-	01	50	75	01
7	NAINITAL	-	-	05	225	36	04
8	PAURI GARHWAL	-	-	01	177	09	01
9	PITHORAGARH	-	-	03	195	03	01
10	RUDRAPARYAG	-	-	01	40	-	-
11	TEHRI GARHWAL	-	-	01	127	30	01
12	U. S. NAGAR	01	13	01	85	46	02
13	UTTARKASHI	-	-	01	70	09	-
14	H.C.L.S.C., NTL	-	-	-	-	-	-
	Total:-	01	13	17	1502	258	16

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS
(Established U/S 22B of Legal Services Authority Act)

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

- (i) No. of PLAs existing :- 07 (Almora, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal and U. S. Nagar)
(ii) Total No. of PLAs functioning :- 04 (Dehradun, Haridwar, Nainital and U.S. Nagar)

S.N.	Permanent Lok Adalat	Number of Sitzings	No. cases pending as on 31.03.2021	No. of cases received during the period	No. of cases settled during the period	Total Value/Amount of Settlement (₹)
1	Dehradun	21	280	180	01	-
2	Haridwar	06	15	01	01	-
3	Nainital	05	121	02	02	32,130
4	U.S. Nagar	06	148	02	03	-
	Total:-	38	564	185	07	32,130

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF CASES SETTLED THROUGH MEDIATION

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

- (A) Total Number of ADR Centres : **04**
(B) Total No of Existing Mediation Centres other than ADR Centres : **16**
(C) Number of Mediators (Total of both in ADR Centres and Mediation Centres) : **101**

DISPOSAL

S.N.	DESCRIPTION	TOTAL
A	No. of cases received during the month	217
B	Cases settled through Mediation	43
C	Cases returned as not settled	137
D	Non-starter cases which were returned as mediation could not commenced	41
E	No. of Connected cases	-
F	No. of Cases pending at the end of the month	338

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF VICTIM COMPENSATION SCHEME
U/S 357A Cr.P.C.

(APRIL-2021 TO JUNE-2021)

No. of applications received directly by Legal Services Institutions (A)	No. of applications/orders marked/directed by any Court (B)	Total No. of applications received including Court orders (A+B)	No. of applications decided	No. of applications pending	Total Compensation Amount (₹)
04	07	11	05	49	6,85,000



CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Malik Mazhar Sultan, Chairman Shri. Ravi Sankar Mishra, Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9456597025 / 9627929664
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri S. M. D. Danish, Chairman Ms. Tricha Rawat, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Narendra Dutt, Chairman Shri Sudhir Kumar Singh, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9456596995
06	District Legal Services Authority, Champawat	Shri Ashish Naithani, Chairman Shri Udai Pratap Singh, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9456596985
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Ms. Neha Kushwaha, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9412097740
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri Vivek Bharti Sharma, Chairman Shri Abhay Singh, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412078358
09	District Legal Services Authority, Nainital	Shri Rajendra Joshi, Chairman Shri Imran Mohd. Khan, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137 / 9456597027
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri S. K. Tyagi, Chairman Shri Sandip Kumar Tiwari, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 9456596225
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Dr. G. K. Sharma, Chairman Ms. Vibha Yadav, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9456592155
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri Shrikant Pandey, Chairman Ms. Anamika, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 8126572918 / 9458592154
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Amit Kumar Sirohi, Chairman Shri Ashok Kumar, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 9412077221 / 9456596996
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Prem Singh Khimal, Chairman Shri Avinash Kumar Srivastava, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Kaushal K. Shukla, Chairman Ms. Durga, Secretary	Office: 01374-226557 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,

e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com

website : www.slsa.uk.gov.in

Portal For Free Legal Aid : <https://uklegalaidservices.uk.gov.in>

Facebook Link : <https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa>

Facebook Page Link : <https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873>

Youtube Link : <https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ>

TOLL FREE NO. 18001804000, 15100